



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245591
CG-DL-E-02052023-245591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1910]
No. 1910]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/VAISAKHA 12, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2023

का.आ. 1998(अ).—स्रोतकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 5 के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनमें से ही चयनित श्री कार्तिकेय शर्मा को उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से स्रोतकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करती है।

[फा. सं. वी-17014/2/2019-आईएनआई-II]
अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2023

S.O. 1998 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5(g) of the Post-graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government hereby notifies Shri Kartikeya Sharma, elected from among themselves by the Members of the Rajya Sabha, to serve as Member of the Institute Body of Post-graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh with effect from the date of publication of this Notification, subject to provisions of the said Act.

[F. No. V-17014/2/2019-INI-II]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.

2857 GI/2023